न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–83/2021/भीलवाड़ा

जेठीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी बडी पोल मादेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ऊखंलिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी झांतला तहसील सिंगोली जिला नीमचं मध्यप्रदेश।
2. श्रीमति कैलाशकंवर पुत्री चतरकंवर पत्नि प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ग्राम ऊखंलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम गजरा तहसील गंगरार जिला जिला चित्तोडगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 23.09.2021 जो अपील संख्या 28/2019 में पारित किया गया तथा नामातंकरण संख्या 1020 को निरस्त किया गया।

<u>उपस्थित अभि0:–</u>

4. अपीलांट अभि0– श्री जी0एस0लखावत
5. रेस्पोडेंट अभि0–श्री सुमित कडवासा–1, जी0एस0लखावत–2
6. राजकीय अभि0– अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः–29.03.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ऊंखलिया तहसील हुरड़ा में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 886, 1047, 1049, 1068, 1071, 1074 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार श्रीमति चतरकंवर बेवा मोतीसिंह राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमियों बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खातेदार की जगह अन्य महिला को खड़ा करके आपराधिक कृत्य करते हुए अपने नाम विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया। जिसकी जानकारी चतरकंवर को होने के बाद वह अपने पीहर चली गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वहां जाकर उसकी हत्या कर दी। इस बाबत हत्या का मुकदमा रेस्पोडेंट गोपालसिंह के विरूद्ध चला तथा वह सिविल कारावास में निरूद्ध रहा। इसी कारण नामातंरण संख्या 1020 खारिज कर दिया है। चतरकंवर की मृत्यु के बाद विरासत नामातंरण संख्या 1121 कैलाशकंवर पुत्री मोतीसिंह के नाम स्वीकृत किया गया है। कैलाशकंवर पुत्री मोतीसिंह द्वारा दिनांक 29.06.2017 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलांट जेठीदेवी को भूमि विक्रय कर दी गई है। इस बाबत गोपालसिंह रेस्पोडेंट द्वारा नामातंरण संख्या 1120, 1121 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई। दोनो नामातंरणों की पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई। गोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में हमे पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि उसके द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2018 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई अपील की जानकारी गोपालसिंह को थी। उसके बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां अपील में पक्षकार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

बनाया गया। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. अधीनस्थ न्यायालय में गोपालसिंह द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी।

2. गोपालसिंह के आपराधिक कृत्य की जानकारी होने के बावजूद उससे संबंधित तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद उन तथ्यों को देखे बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय दिया गया है।

3. रेस्पोडेंट गोपालसिंह को राजस्व वाद संख्या 39/2018 तथा निर्णय 06.06.2018 के विरूद्ध आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में अपील के तथ्यों को छुपाते हुए और बिना हमे पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो उचित नहीं है। अपील स्वीकार की जायें तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 को निरस्त किया जायें।

अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमियां ग्राम ऊंखलियां में है तथा खातेदार चतरकंवर बेवा मोतीसिंह थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अन्य महिला को चतरकंवर के रूप में खड़ा कर रजिस्ट्री करवा ली थी। इसी वजह से गोपालसिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। बाद में में चतरकंवर की हत्या गोपालसिंह के द्वारा कर दी गई। नामातंरण संख्या 1020 दिनांक 25.04.2012 को एफआईआर होने से खारिज किया गया। चतरकंवर ने कोई रजिस्ट्री नही की थी। चतरकंवर की विरासत बाद में उसकी पुत्री कैलाशकंवर के नाम नामातंरण संख्या 1021 से दर्ज हुई। कैलाशकंवर ने विवादित भूमि जेठीदेवी वर्तमान अपीलांट को विक्रय की। खसरा नम्बर 58 रकबा 14 बीघा है। उक्त विक्रय दिनांक 30.06.2017 को किया गया। जेठीदेवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। गोपालसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे जेठी को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि जेठी सन् 2017 में जमीन खरीद चुकी थी। गोपालसिंह द्वारा वहां पर की गई, अपील मियाद बाहर थी। जिस पर गोपाल सिंह के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। गोपालसिंह ने बताया कि वह जेल में था इसलिए अपील देरी से प्रस्तुत की गई। उक्त कथन असत्य कथन है। क्योंकि वह गलत काम की वजह से जेल रहा था तथा उसे जानकारी थी। गोपालसिंह द्वारा सन् 2018 में 39/18 नम्बर से एसडीओ गुलाबपुरा में दावा दर्ज करवाया गया था। उक्त दावें के निर्णय के बाद उसके द्वारा आरएए न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को अपील की गई। उसे जानकारी 2018 मे होना माना जायेगा। गोपालसिंह के पक्ष मे कोई भूमि का विधिक ट्रांसफर नहीं हुआ है। गोपालसिंह अपने दस्तावेज की सत्यता के लिए कोर्ट में जाकर घोषणा करायें। विरासत नामातंरण से भूमि कैलाशकंवर के नाम ही जायेगी। गोपालसिंह विरासत में कोई क्लेम नहीं कर सकता है। नामातंरण कार्यवाही (135) में नहीं होने पर समरी कार्यवाही होगी। धारा 135(2) में सुना जाना आवश्यक होता है क्या विरोधी पक्षकार के क्लेम को एक्जामिन कर निर्णय करना होता है। गोपालसिंह हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता हुआ है। बहस सुनी गई। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट द्वारा विवादित भूमि दिनांक 30.06.2017 को पंजिकृत विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 2 से खरीद की है। तब से उसका मौके पर कब्जाकाश्त है। किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत अपील में हमें पक्षकार नहीं बनाया जाकर आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट का हित निहित है। वह व्यथित पक्षकार है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2017 से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 58 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि कैलाशकंवर से खरीद की गई है। जबकि गोपालसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में नामातंरण संख्या 1121 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2019 को अपील प्रस्तुत की जाना पाया जाता है। उक्त अपील प्रोसिडिंग में खसरा नम्बर 58 का भी उल्लेख है जो वर्तमान अपीलांट के द्वारा कैलाशकंवर से खरीद किया हुआ है। इस प्रकार अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है तथा उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 की जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी। उक्त जानकारी दिनांक 16.11.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा यह बताने पर कि आदेश हमारे पक्ष में हुआ है, जानकारी हुई है। दिनांक 17.11.2021 को नकल हेतु आवेदन दिया। दिनांक 24.11.2021 को नकल प्राप्त हुई। उसके शीघ्र बाद अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 26.11.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 में अपीलांट पक्षकार नहीं थी। उसे देरी से जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.12.2021 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया।

नामातंरण संख्या 1020 ग्राम ऊंखलियां का अवलोकन किया गया। नामातंरण के कॉलम नम्बर 2 में खाता संख्या 92 अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 3 में खसरा संख्या 58 अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 4 में क्षेत्रफल 14 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 7 में चतरकंवर पत्नि मोतीसिंह राजपूत साकिनदेह खातेदार अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 9 में गोपालसिंह पिता नन्दसिंह जाति राजपूत साकिनदेह खातेदार अंकित किया हुआ है। कॉल नम्बर 10 में खसरा संख्या 58 एवं कॉलम नम्बर 11 में 14 बीघा 10 बिस्वा अंकित किया हुआ है। कॉलम नम्बर 14 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2010 क्रम संख्या 2010003307 पर पंजीकृत किया गया अंकित है। कॉलम नम्बर 16 में पटवारी द्वारा यह अंकित किया हुआ है–निवेदन है कि मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय का नामातंरण खोलकर स्वीकृति हेतु पेश है। रिपोर्ट पटवारी ऊंखलियां में यह अंकित है कि महोदय जी निवेदन है कि उक्त विक्रय पत्र पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। पुलिस में जांच चल रही है। अतः यह नामातंरण खोलने योग्य है। तहसीलदार द्वारा उसे अस्वीकृत किया गया है। तहसीलदार द्वारा उक्त अंकन दिनांक 25.04.2012 को किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट गोपालसिंह ने अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में अपने अपील मीमो के क्रम संख्या 5 पर यह अंकित किया है कि मुझ अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी नम्बर 58 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में जिस पर आज पर्यन्त मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। किन्तु तहसीलदार हुरड़ा द्वारा मात्र पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट दिनांकित 25.04.2012 के आधार पर उक्त भूमि का नामातंरण मुझ अपीलार्थी के नाम पर नही खोलकर अस्वीकृत कर दिया है। जबकि मुझ अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम सप्रतिफल क्रय की गई थी और विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज होने मात्र से किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से नामातंरण नहीं खोला जायें। चतरकंवर ने जो विक्रय पत्र मुझ अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत कराया गया था। वह विक्रय पत्र किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नही कराया गया है। ना ही पुलिस जांच में उसे फर्जी पाया गया है। यधपि उक्त एफआईआर की मुझ अपीलार्थी को कोई जानकारी नही है। चतरकंवर द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 08.12.2010 को मुझे अंतरित कर चुकी थी। उसके बाद चतरकंवर का उक्त भूमि में कोई स्वत्व अधिकार नही बचता है। इसलिए नामातंरण मेरे पक्ष में किया जाना चाहिए था। चतरकंवर द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त विक्रयपत्र के संबंध में कभी कोई एतराज नहीं किया। वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सहमत थी। चतरकंवर के निधन के बाद मुझ गोपालसिंह की अनुपस्थिति में विरासत से नामातंरण संख्या 1121 दिनांक 27.05.2013 से विवादित भूमियां कैलाशकंवर के नाम दर्ज कर दी गई है। उक्त नामातंरण के विरूद्ध भी मेरे द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। साथ ही यह कहा कि एक अन्य प्रकरण में करीब 8 वर्ष से जेल में बंद रहा। इस कारण उक्त नामातंरण की मुझे कोई जानकारी नहीं रही है। इस बाबत जानकारी मुझे दिनांक 09.07.2019 को हुई।

उक्त विवादित 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि कैलाशकंवर द्वारा दिनांक 30.06.2017 को जेठीदेवी को विक्रय कर दी गई थी और इस बाबत नामातंरण संख्या 1121 दिनांक 27.05.2013 को स्वीकृत किया गया था। गोपालसिंह द्वारा दिनांक 05.02.2019 को कैलाशकंवर के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में प्रकरण संख्या 03/2019 दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही विवादित 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि जेठीदेवी के नाम हो चुकी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा आवश्यक पक्षकार के अभाव में निर्णय दिया जाना पाया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में गोपालसिंह द्वारा यह बताया गया कि उसे नामातंरण संख्या 1020 की जानकारी दिनांक 09.07.2019 को हुई जबकि जेठीदेवी द्वारा न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 395/2018 जेठीदेवी बनाम गोपालसिंह दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण दिनांक 29.10.2018 को दर्ज करवाया गया था तथा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त प्रकरण की प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.01.2019 को गोपालसिंह की ओर से अधिवक्ता बी0एल0बापना द्वारा अधिकार पत्र पेश किया था। उनकी ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट है कि जानकारी होते हुए भी गोपालसिंह क्लीन हैंड से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था।

गोपालसिंह का यह कहना भी असत्य है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2010 के बाद उसके पक्ष में कोई नामातंरण कभी स्वीकृत नहीं किया गया था। बाद में विवादित भूमि कैलाशकंवर के न[illegible]त से आयी और कैलाशकंवर द्वारा जेठीदेवी को विक्रय कर दिया गया था। जेठीदेवी विव[illegible] भूमि की खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर गो[illegible] जा सकता है। ना ही कब्जे बाबत उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही गोपालसिंह का यह कहना भी गलत है कि अपने जीवनकाल में चतरकंवर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2010 बाबत कोई शिकायत नही की हो।

चतरकंवर द्वारा गोपालसिंह, सिनोदकुमार, जगदीश पुत्र कल्याण के विरूद्ध एक इस्तगासा धारा 406,420,120बी, 467,468 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवाया था। उक्त इस्तागासा 144/2011 नम्बर से दर्ज किया गया था। उक्त परिवाद में चतरकंवर ने आराजी नम्बर 58 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज होना और अपने कब्जेकाश्त में बतायी। यह बताया कि दिनांक 08.12.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सिनोदकुमार और जगदीश के साथ मिलीभगत कर योजनाबद्ध तरीके से उनकी वृद्धावस्था एवं शारिरिक स्थिति सही नही होने एवं अनपढ होने के साथ राजस्थान से बाहर निवास करने का लाभ उठाते हुए योजना अनुसार छल व कपट से रेस्पोडेंट नम्बर 1 में परिवादिया का बेचान विक्रय पत्र एवं रिलीज डीड पर परिवादिया की बिना सहमति एवं बिना जानकारी के परिवादिया की फोटों चिपकाकर एवं फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को मुल्जिम नम्बर 2 व 3 से मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया। इसकी जानकारी परिवादिया चतरकंवर को दिनांक 18.08.2011 को आराजीयात को सिनजारी को भिजवाने पर हुई। यह है कि परिवादिया काफी वृद्ध होने से स्वयं अकेली वाके ग्राम झांतला तहसील जावद जिला नीमच(मध्यप्रदेश) में निवास कर रही है तथा दिनांक 18.08.2011 को अपनी आराजीको सिजारी पर देने आयी तब उक्त सभी अभियुक्तगणों ने परिवादिया को कहा कि यह सम्पूर्ण आराजियात अब हमारी हो गई है। जिस पर परिवादिया ने उक्त अभियुक्तगण को ओलमो दिया जिस पर अभियुक्त नम्बर 1 ने परिवादिया के साथ मारपीट कर उक्त कृत्य की कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी है। यह है कि उक्त संबंध में परिवादिया द्वारा पुलिस थाना शम्भुगढ़ में रिपोर्ट पेश की गई लेकिन पुलिस थाना शम्भुगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। यह कि परिवादिया शारीरिक रूप से काफी वृद्ध व अस्वस्थ होने के कारण आज आप न्यायालय में इस्तगासा पेश करने में काफी कठिनाइयों का सामना कर उक्त प्रकरण बाबत यह इस्तगासा आप न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की चाराजोई पेश हुई है। उक्त परिवाद दिनांक 20.08.2011 को गुलाबपुरा एसीजेम को दिये है। दिनांक 23.08.2011 को उक्त परिवाद पुलिस स्टेशन शम्भूगढ़ भेजा गया। इस बीच दिनांक 28.08.2011 को चतरकंवर की हत्या हो जाती है। इस पर सैशन प्रकरण 200/2011 राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक चितौड़गढ़ विरूद्ध गोपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ऊखंलिया थाना शम्भूगढ़ जिला भीलवाड़ा अन्तर्गत धारा 302, 324,450 आईपीसी दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 27.11.2015 को उक्त धाराओं में दोषी घोषित करते हुए दण्डित किया गया है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि चतरकंवर द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 08.12.2010 के विरूद्ध न्यायालय एसीजेएम गुलाबपुरा में फौजदारी इस्तगासा दर्ज करवाया गया था। उसने अपने जीवनकाल में ही उक्त विक्रय पत्र को फर्जकारी से प्राप्त किया जाना माना था। विवादित भूमि पहले विरासत से कैलाशकंवर के नाम आयी है। जो कि चतरकंवर की पुत्री है। बाद में कैलाशकंवर के द्वारा भूमि जेठीदेवी के नाम विक्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में जेठीदेवी को पक्षकार बनाये बिना गोपालसिंह द्वारा अनुतोष प्राप्त किया था। जो उचित नहीं है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.2021 को विवादित भूमि कैलाशकंवर के नाम दर्ज ही नही थी। उक्त दिनांक से काफी सालों पहले दिनांक 27.05.2013 को भूमि जेठीदेवी के नाम दर्ज हो चुकी थी। गोपालसिंह को उक्त तथ्य [illegible]कारी दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार दिनांक 16.01.2019 को हो चुकी थी। मगर वह क्लीन [illegible] से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था तथा तथ्य छिपाकर धारा 5 के [illegible] लाभ प्राप्त किया था। गोपालसिंह वादपत्र द्वारा अपने दस्तावेजो के आधार पर आधि[illegible] घोषणा बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता है। नामातंरण के आधार पर वह लाभ प्राप्त करना चाहता है। नामातंरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested

मात्र एक फिस्कल कार्यवाही मात्र है। अपने दस्तावेजो को उसे साबित करवाना होगा। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2019 अन्तर्गत अपील धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्ध तहसीलदार हुरड़ा नामातंरण संख्या 1020 दिनांक 27.05.2013 निर्णय दिनांक 23.09.2021 निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:17 IST
Reason: SelfAttested